संख्या-151/2016/1025/22-2-2015-17(15)/2005

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी अलाउद्दीन पुत्र श्री फीजू निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46822/पर-3(एम-28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी अलाउद्दीन पुत्र श्री फीजू, ग्राम-हाजीपुर, थाना-खरखौदा, जनपद-मेरठ का निवासी है। पूर्व में हुई शब्बीर नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11.02.1973 को प्रात: लगभग 11:00 बजे बन्दूक, पिस्तौल, तबल, भाला, बल्लम एवं लाठी से हमला कर अली मोहम्मद एवं सिराजू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-269/1973 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147/148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-4 मेरठ द्वारा दिनांक 30.10.1973 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30-09-2015 तक 11 वर्ष 05 माह 19 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 03 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी के 07 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय के पूर्व से फरार है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा दोहरे हत्या काण्ड को अन्जाम दिये जाने एवं मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को पूर्ण कराये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को पूर्ण कराये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेस, मेरठ द्वारा किये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी अलाउद्दीन पुत्र श्री फीजू निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अलाउद्दीन (बन्दी संख्या-9718) पुत्र श्री फीजू निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-151/2016/1025(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मेरठ ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-151/2016/1025@22-2-2015-17(15)/2005

दिनांक 15 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी अलाउद्दीन पुत्र श्री फीजू, ग्राम-हाजीपुर, थाना-खरखौंदा, जनपद-मेरठ का निवासी है। पूर्व में हुई शब्बीर की हत्या को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11.02.1973 को प्रात: लगभग 11:00 बजे बन्दूक, पिस्तौल, तबल, भाला, बल्लम एवं लाठी से हमला कर अली मोहम्मद एवं सिराजू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-269/1973 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147/148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-4 मेरठ द्वारा दिनांक 30.10.1973 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30-09-2015 तक 11 वर्ष 05 माह 19 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 03 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी के 07 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय के पूर्व से फरार है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा दोहरे हत्या काण्ड को अन्जाम दिये जाने एवं मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को पूर्ण कराये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को पूर्ण कराये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेस, मेरठ द्वारा किये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी अलाउद्दीन पुत्र श्री फीजू निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।